में दिनांक 6.7.17 ... [illegible]

एस डीएम/ डीआई ... [illegible]

[signature] Reader [illegible] 6-7-17	6-7-17 आवेदन पत्र कैम्प कोर्ट इंगोरिया में प्राप्त हुई [illegible] पत्र. को लिया कार्यवाही का अवलोकन किया। प्रार्थिया विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के विरुद्ध इ. डी. [illegible] प्रार्थिया का [illegible] के आदेश पर [illegible] पत्र. [illegible] सम्मन [illegible] आदेश [illegible] किया गया। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~/कैम्प कोर्ट) कैम्प......ईकरोटिया

पीठासीन अधिकारीः– विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

कमला................बनाम.............महेन्द्र आदि

दावा बाबत.............हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर : 68/17.05.2011
निर्णय दिनांकः– 06.07.2017

वादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख.....06.07.2017 को विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प कोर्ट में पेश होने पर सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– वादीगण विवादित आराजी वाके ग्राम **पालपुर** तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान खसरा नम्बर **1099/0-07 बीघा** की नियमानुसार पैमाइश कराये, तत्पश्चात पैमाइश होने के बाद पैमाइश के अनुसार पैमाइश रिपोर्ट में उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी गण का अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द रहेंगें कि वो विवादित आराजी के किसी भी जुज पर जबरन कब्जा ना करें,, ना निर्माण करें, वादीगण व तर0 प्रति0 के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। ना हरे वृक्ष काटे। मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर करें। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

....

....

....

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।
यह निर्णय आज तारीख......06.07.2017...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट.....ईकरोटिया

Scanned by CamScanner